

रामलाल/रामलाल 25/25

20.8.25

वकालत उपांग प्राप्ति की

मूल अपील विस्तृत विवेचन-
के साक्ष्य खारिज ही जा चुकी
है, इस अनुसार उक्त डा. पत्र
भी खारिज किया जा रहा है फालतू
के फलतः शुभार ही मंजूर हो
सकेंगे ही फालतू वकालत ही

20/8/25

अपर वकील, नागौर